



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 10, 2019/वैशाख 20, 1941

No. 156]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 10, 2019/VAISAKHA 20, 1941

## भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

### अधिसूचना

मुम्बई, 10 मई, 2019

## भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

### [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2019

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/16.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) तथा खंड (ग) और धारा 12 की उप-धारा (1) तथा (1ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2019 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में, -

I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, -

i. खंड (ज) के पश्चात् और खंड (झ) से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“(जक) “अभिरक्षक (कस्टोडियन)” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996 [सेबी (कस्टोडियन) रेग्यूलेशन्स, 1996] के तहत अभिरक्षक का कारबार करने हेतु रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो;”

ii. खंड (ट) के पश्चात् और खंड (ठ) से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“(टक) “वस्तुओं” से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्क्यूरीटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] की धारा 2 के खंड (खग) के तहत अधिसूचित वस्तुएं अभिप्रेत हैं और जो किसी कमोडिटी व्युत्पत्ती (कमोडिटी डेरिवेटिव) की अंडरलाइंग होती हैं;”

II. विनियम 18 में, खंड (क) के पश्चात् और खंड (ख) से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“(कक) प्रवर्ग III आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ कमोडिटी व्युत्पत्तियों (कमोडिटी डेरिवेटिव्स) के वास्तविक निपटान (फिज़िकल सेटलमेंट) की बाबत की जाने वाली सुपुर्दगी (डिलीवरी) में प्राप्त वस्तुओं में लेनदेन (व्यौहार / डील) कर सकेंगी।”

III. विनियम 20 में, उप-विनियम (2) में, मौजूदा परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“परंतु यह और कि प्रवर्ग III आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधि द्वारा नियुक्त किया गया अभिरक्षक (कस्टोडियन) कमोडिटी व्युत्पत्तियों (कमोडिटी डेरिवेटिव्स) के वास्तविक निपटान (फिज़िकल सेटलमेंट) की बाबत की जाने वाली सुपुर्दगी (डिलीवरी) में प्राप्त प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरीटीज़) और वस्तुओं को अपनी अभिरक्षा (कस्टडी) में रखेगा।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./41/19]

#### पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, 21 मई 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 तत्पश्चात्, -
  - (1) 16 सितम्बर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/24/6573, द्वारा
  - (2) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
  - (3) 26 सितम्बर, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/11/1576, द्वारा
  - (4) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/011, द्वारा
  - (5) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/026, द्वारा
  - (6) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा
  - (7) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/19, द्वारा संशोधित हुए थे।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA****NOTIFICATION**

Mumbai, the 10th May, 2019

**Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2019**

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/16.**—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 30 read with sub-section (1) of section 11, clause (ba) and clause (c) of sub-section (2) of section 11 and sub-sections (1) and (1B) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, namely –

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2019.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, -
  - I. in regulation 2, in sub-regulation (1), -
    - i. after clause (h) and before clause (i), the following clause shall be inserted, namely, -
 

“(ha) “custodian” means a person who has been granted a certificate of registration to carry on the business of custodian under the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996;”
    - ii. after clause (k) and before clause (l), the following clause shall be inserted, namely, -
 

“(ka) “goods” means the goods notified by the Central Government under clause (bc) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and forming the underlying of any commodity derivative;”
  - II. in regulation 18, after clause (a) and before clause (b), the following clause shall be inserted, namely,-
 

“(aa) Category III Alternative Investment Funds may deal in goods received in delivery against physical settlement of commodity derivatives;”
  - III. in regulation 20, in sub-regulation (2), after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely,-
 

“Provided further that the custodian appointed by Category III Alternative Investment Fund shall keep custody of securities and goods received in delivery against physical settlement of commodity derivatives.”

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./41/19]

**Footnote:**

1. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were published in the Gazette of India on 21st May, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.

2. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were subsequently amended on,—

- (1) 16<sup>th</sup> September, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/24/6573.
- (2) 23<sup>rd</sup> May, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
- (3) 26<sup>th</sup> September, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/11/1576.
- (4) 14<sup>th</sup> August, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/011.
- (5) 4<sup>th</sup> January, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/026.
- (6) 6<sup>th</sup> March, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037.
- (7) 1<sup>st</sup> June, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2018/19.